

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय रायपुर

क्रमांक

/वि.स./स्था /2017

रायपुर, दिनांक

/2017

// कार्यालय आदेश //

प्रायः यह देखने में आया है कि शाखाओं से संबंधित लिपिक अपनी टीप हस्तलिखित अंकित करते हैं, जो सुवाच्य नहीं होती। अतः निर्देशित किया जाता है कि शाखा में लिपिक कम्प्यूटर पर टंकित टीप नस्ती में प्रस्तुत करें।

इसके साथ ही कुछ लिपिकों द्वारा नस्ती में जिन पत्रों के प्रारूप अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए जाते हैं, उनकी सेटिंग एवं फॉन्ट ठीक नहीं रहते, जो पढ़ने एवं देखने में उचित नहीं लगते, जिस पर संबंधित शाखा के अनुभाग अधिकारी ध्यान देकर नस्ती वरिष्ठ अधिकारियों को अंकित करें।

समस्त शाखाओं के अनुभाग अधिकारी उपरोक्त टीप का पालन सुनिश्चित करायें।

आदेश से,



अपर सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर, दिनांक 16.7 /2017

3147

पृ. क्रमांक

/वि.स./स्था /2017

प्रतिलिपि

01. प्रमुख सचिव, छ.ग विधान सभा सचिवालय के निज सचिव को प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ।
02. समस्त अनुभाग अधिकारी एवं शाखा प्रभारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
03. सर्वर कक्ष।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा